विरुद्ध शिकायतों की जांच आरम्भ कर दी गई है ।

(ग) जी, हां, । श्री यू० एस० जौली, निदेशक (आवास) के विरुद्ध शिकायत दिल्ली विकास प्राधिकरण के जांचाधीन है ।

Funds to Rajasthan for rehabilitation of the bonded labour

2(595. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the funds allocated to Rajasthan by the Union Government during Ihe last three years for rehabilitation of the bonded labour; and

(b) the details about the targets set and achieved in respect of rehabilitation of bonded labour in the State during this period?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) and (b) Under the Centrally Sponsored Scheme for rehabilitation of bonded labour no allocation of funds is made State.wise. Funds aro re-leased on the basis of proposals received from; State Governments and utilisation of funds released earlier. The details of amount released as Central share to Rajasthan State, targets fixed and achievements during the last three years are given below:—

Year	Amount of Central Share released (Rs. in lakhs)	Target fixed (Number of bonded labour to be rehabilitated)	Achievement (Number of bonded labour rehabilitated)
I9S5-86	3.16	1032	1079
1986-87	0.89	390	*366*
1987-88	1.00	125	113

Arrears EPF dues from the Employees in Rajasthan

2696. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the total E.P.F, amount of workers due from the employers in Rajasthan as on 30th June, 1988; and

(b) the steps being taken to release these dues?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) As per available information, the total amount of E.P.F, dues outstanding against the employers in Rajas-than as on 30th June, 1988 was as given below:—

(Rupees in lakhs)

Exempted Establishments	263.85
Un-exempted Establishments	248.11
TOTAL	511.96

(b) The E.P.F, authorities are generally taking the following action against the defaulters for realisation of the outstanding dues:—

(i) issuing of Revenue Recovery certificate under section 8 of tho E.P.F. Act;

(ii) Filing of prosecution cases under section 14 of the E.P.F. Act;

(iii) Filing of compIaints under section 406/409 IPC in cases of non-payment of contribution deducted from the wages of the employees;

(iv) Levying damages under section 14 B of the E.P.F. Act.

इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

2697 **श्री शरद यादव :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन विभिन्न उपक्रमों के ऐसे अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए कार्यवाही की गई है ;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों को दोषी तथा कितनों को निर्दोष पाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान जिंक में कार्यरत उच्च अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की अब तक जांच नहीं कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस अधिकारी का नाम क्या है जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है और यह शिकायत किस स्वरूप की है तथा उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई का क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधूरी योजनाएं

2698. **श्री शरद यादव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979 के पश्चात दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें समय पर पूरा नहीं किया जा सका तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऊपर उल्लिखित इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय अनुसूची निर्धारित की गयी थी और इन्हें पूरा करने में वास्तव में कितना समय लगेगा ;

(ग) इन योजनाओं को समय पर पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उपर्युक्त योजनाओं को समय पर पूरा न किये जा सकने के कारणों में से एक कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही और अकर्मण्यता भी है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सन् 1979 से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित योजनाओं की घोषणा की गई थी :--

1. नवीन पद्धति योजना--79 (हुडको)
2. स्ववित्त पोषित योजना-III
3. स्ववित्त पोषित योजना-IV
4. स्ववित्त पोषित योजना-V
5. स्ववित्त पोषित योजना-VI
6. विशेष आवास योजना—82 (आर. पी. एस.--82)
7. विशेष आवास योजना--85 (आर. पी. एस.--85)

इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की गई थी क्योंकि किसी योजना को पूरा करना इसके आकार, भूमि की उपलब्धता, वित्त